अनवान पारसमल V/S रा० प्रा० वि० महिलावास
मुकदमा नंबर 114 / 2021

	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

15-07-24

पत्रावली पेश हुई।

प्रार्थीगण अधिवक्ता उपस्थित।

प्रार्थीगण अधिवक्ता की बहस सुनी गई।

प्रार्थीगण अधिवक्ता की बहस है कि प्रार्थीगण की हक हकूक स्वामित्व की भूमि खसरा संख्या 1830/362 रकबा 0.0728 हैक्टेयर किस्म गै.मु.आबादी, खसरा संख्या 2019/362 रकबा 0.0728 हैक्टेयर किस्म गै.मु.आबादी व खसरा संख्या 2110/362 रकबा 0.0405 हैक्टेयर भूमि ग्राम महिलावास तहसील सिवाना मे अवस्थित है विवादित भूमि के बदिशा पूर्व में राजकीय प्राथमिक विद्यालय खसरा संख्या 362 व बदिशा उत्तर में खसरा संख्या 1828/362 ग्राम पंचायत महिलावास की गै.मु.आबादी व कृषि भूमि अवस्थित है। विप्रार्थीगण प्रार्थीगण की स्वामित्व की भूमि पर जबरन कब्जा करने की चेष्टा कर रहे है तथा विवादित भूमि की पैमाईश में बाधा उत्पन्न कर रहे है लिहाजा प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर विवादित भूमि की नेखमबंदी का आदेश फरमाया जावे।

हमने प्रार्थीगण अधिवक्ता की बहस सुनी व पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेज का गंभीरता से अवलोकन एवं मनन किया गया। राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम की धारा 1956 की धारा 111 के प्रावधानुसार किन्हीं सीमाओं से सम्बन्धित किसी विवाद के मामले में भू-अभिलेख अधिकारी के समक्ष प्रार्थनां पत्र पेश करना चाहिए, प्रार्थीगण ने न तो सीमाज्ञान रिपोर्ट न हीं ऐसा कोई दस्तावेज पेश किया है जिससे प्रतीत हो कि मौके पर विवादित भूमि की सीमा को लेकर कोई विवाद है, प्रार्थीगण ने प्रार्थना पत्र में विवादित भूमि की किस्म गै.मु.आबादी का अंकन किया तथा प्रार्थना पत्र रा.भू.अ. की धारा 128 के तहत पेश किया है, विधिनुसार कृषि भूमि की सीमाओं सम्बन्धी विवाद होने पर प्रार्थना पत्र धारा 128 के तहत पेश किया जाना चाहिए हस्तगत प्रकरण में विवादित भूमि की किस्म गै.मु.आबादी है।

लिहाजा प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र उपरोक्त विवेचन के आधार पर खारिज किया जाता है।

पत्रावली फैसल सुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

उपखण्ड अधिकारी
सिवाना (बालोतरा)

Signature Not Verified
Digitally signed by Surendra Singh Khangarot
Date: 2026.01.01 17:54:35 IST
Reason: SelfAttested